



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu3@gmail.com

क्रमांक : 608 / अका. / 2025

रायपुर, दिनांक : 28/03/2025


॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(4) में निहित प्रावधानानुसार, माननीय कुलाधिपति महोदय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ 5-1/2022/रास/यू-1, रायपुर, दिनांक 28.03.2025 के द्वारा निम्नानुसार संकायों का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया है:-

- (1) टेक्नालॉजी संकाय - डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, आचार्य, फार्मसी संस्थान, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- (2) प्रबंध संकाय - डॉ. जी.के. देशमुख, आचार्य, प्रबंध संस्थान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- (3) शिक्षा संकाय - डॉ. रीया तिवारी, प्राध्यापक, शिक्षा, ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर

इनकी कार्यावधि आदेश की तिथि से दो वर्ष या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पू.क्रमांक : 609 / अका. / 2025

रायपुर, दिनांक : 28/03/2025

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवरसचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
02. सचिव, उच्चशिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
05. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, आचार्य, फार्मसी संस्थान, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
06. डॉ. जी.के. देशमुख, आचार्य, प्रबंध संस्थान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
07. डॉ. रीया तिवारी, प्राध्यापक, शिक्षा, ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर
08. समस्त संकायाध्यक्षों को।
09. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर।
10. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
11. समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
12. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)